

दूसरी अनुसूची
[धारा 119(1)देखिए]

क्रम सं०	अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
5	(1)	(2)	(3)
10	1. सा०का०नि० 465(अ), तारीख 3 मई, 1990 (169/1990-सीमाशुल्क, तारीख 3 मई, 1990)	उक्त अधिसूचना में, शर्त (???) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— “(=) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी, ऐसी शर्तों के निबंधनों के अनुसार और उनके समाधान के अधीन रहते हुए, जो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की लोक सूचना में इस संबंध में विनिर्दिष्ट की जाएं, निर्यात बाध्यता को पूरा करने की अवधि का विस्तारण मंजूर करता है और अनुज्ञप्तिधारक यूनिटें जनवरी, 2001 मास में गुजरात राज्य में आए भूकंप से प्रभावित हुई हैं वहां निर्यात बाध्यताओं को पूरा करने की उक्त अवधि, शर्त (???) में किसी बात के होते हुए भी, 31 मार्च, 2002 तक विस्तारित की जा सकेगी और विस्तारित की गई समझी जा सकेगी और किसी भी दशा में 31 मार्च, 2004 से आगे विस्तारित नहीं की जाएगी।”	3 मई, 1990
15	2. सा०का०नि० 423(अ), तारीख 20 अप्रैल, 1992 (160/1992-सीमाशुल्क, तारीख 20 अप्रैल, 1992)	उक्त अधिसूचना में शर्त (?=) के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— “(=) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी, जनवरी, 2001 में गुजरात राज्य में आए भूकंप से प्रभावित किसी अनुज्ञप्तिधारक यूनिट की बाबत ऐसी शर्तों के निबंधनों के अनुसार और उनके समाधान के अधीन रहते हुए, जो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की लोक सूचना में इस संबंध में विनिर्दिष्ट की जाएं, निर्यात बाध्यता को पूरा करने की अवधि का विस्तारण मंजूर करता है वहां निर्यात बाध्यता को पूरा करने की संपूर्ण अवधि 31 मार्च, 2002 से अधिक विस्तारित की जा सकेगी किंतु किसी भी दशा में 31 मार्च, 2004 से आगे विस्तारित नहीं की जाएगी।”	20 अप्रैल, 1992
20			